10

# भारतीय जाति-प्रथा और उसकी उत्पत्ति

## (Indian Caste System and its Origin)

इस अध्याय में हम जानेंगे :

- जाति का अर्थ एवं परिभाषाएं
- जाति प्रथा की प्रमुख विशेषताएं
- जाति और वर्ग में अन्तर
- जाति की उत्पत्ति के सिद्धान्त

भारतीय जाति-प्रथा अपनी तरह की एक विचित्र और रोचक संस्था है। धर्म की सीमा के बाहर हिन्दुओं का जो कुछ भी अपनापन है, उसकी अनोखी अभिव्यक्ति यह जाति-प्रथा है। वास्तव में यह संस्था हिन्दू जीवन को दूसरों से इतना अलग कर देती है कि सैकड़ों भारतीय और विदेशी विद्वानों का ध्यान इस संस्था की ओर आकर्षित हुआ है। इन विद्वानों में इतिहासकारों का उल्लेख सर्वप्रथम किया जा सकता है, जिन्होंने जाति-प्रथा को ऐतिहासिक घटनाओं के साथ जोड़कर विभिन्न युगों में इसमें होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डाला है। इसके बाद भारतशास्त्रियों (Indologists) ने व्याख्यात्मक रूप में जाति-प्रथा को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। इतना ही नहीं, भारतीय जनगणना आयुक्त, अंग्रेज मिशनरियों तक ने भारतीय जाति-प्रथा को अछूता नहीं रखा और अपने-अपने दृष्टिकोण से जाति-प्रथा की विचित्रता और महत्ता को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है।

आज भारतवर्ष में लगभग 3,000 जातियां और 25,000 उपजातियां हैं। कुछ के सदस्य लाखों में हैं, तो कुछ के सैकड़ों में। 11.5 करोड़, यानि कुल जनसंख्या का 15% जनसंख्या जाति या उपजाति है।

### जाति का अर्थ एवं परिभाषाएं

### (Meaning and Definitions of Caste)

अंग्रेजी का 'Caste' शब्द पुर्तगाली शब्द 'Casta' से बना है जिसका अर्थ प्रजाति,

Scanned with CamScanner

जन्म या भेद होता है। इस अर्थ में जाति-प्रथा प्रजातीय या जन्मगत भेद के आधार पर एक व्यवस्था है। प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई जाति की परिभाषाएं निम्नलिखित हैं–

- **सर हरबर्ट रिजले**–*"जाति परिवारों या परिवारों के समूह का एक संकलन है जिनका कि एक सामान्य नाम है, जो एक काल्पनिक पूर्वज, मानव का देवता, से एक सामान्य वंश-परम्परा या उत्पत्ति का दावा करते हैं, एक ही परम्परात्मक व्यवसाय को करने पर बल देते हैं और एक सजातीय समुदाय के रूप में उनके द्वारा मान्य होते हैं जो अपना ऐसा मत व्यक्त करने के योग्य हैं।"*
- **ब्लण्ट**–*"एक जाति एक अन्तर्विवाही समूह या अन्तर्विवाही समूहों का संकलन है, जिसका एक सामान्य नाम है, जिसकी सदस्यता वंशानुगत है, जो अपने सदस्यों पर सामाजिक सहवास के सम्बन्ध में कुछ प्रतिबन्ध लगाती है; एक सामान्य परम्परागत पेशे को करती है या एक सामान्य उत्पत्ति का दावा करती है और सामान्यतया एक समरूप समुदाय को बनाने वाली समझी जाती है।"*
- **केतकर**–*"जाति एक सामाजिक समूह है जिसकी दो विशेषताएं हैं– (1) जाति की सदस्यता उन व्यक्तियों तक ही सीमित है जोकि उस जाति-विशेष के सदस्यों से ही पैदा हुए हैं और इस प्रकार उत्पन्न होने वाले सभी व्यक्ति जाति में आते हैं; (2) जिसके सदस्य एक अविच्छिन्न सामाजिक नियम के द्वारा अपने समूह के बाहर विवाह करने से रोक दिए गए हैं।"*

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि **जाति मुख्यतः जन्म के आधार पर सामाजिक संस्तरण और खण्ड-विभाजन की वह गतिशील व्यवस्था है जो खाने-पीने, विवाह, पेशा और सामाजिक सहवासों के सम्बन्ध के अनेक या कुछ प्रतिबन्धों को अपने सदस्यों पर लागू करती है।**

## जाति-प्रथा की प्रमुख विशेषताएं
(Main Features of Caste System)

**डॉ. घुरिये** ने जाति-प्रथा के संरचनात्मक और संस्थात्मक दोनों पक्षों को स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है–

**(1) समाज का खण्डात्मक विभाजन** (Segmental Division of Society)–भारतीय जाति-प्रथा ने हिन्दू समाज को विभिन्न खण्डों में विभाजित कर दिया है और खण्ड के सदस्यों की स्थिति, पद, स्थान और कार्य भी सुनिश्चित है। **डॉ. घुरिये** के अनुसार, इस प्रकार खण्ड-विभाजन का तात्पर्य, जाति-प्रथा द्वारा आबद्ध समाज में सामुदायिक भावना सीमित होना है और यह समग्र समुदाय के प्रति न होकर केवल एक जाति के सदस्यों के प्रति नैतिक कर्त्तव्य-बोध है।

**(2) संस्तरण** (Hierarchy)–जाति-प्रथा निर्धारित विभिन्न खण्डों में ऊँच-नीच का एक संस्तरण या चढ़ाव-उतार होता है और इसमें, परम्पराओं के अनुसार, प्रत्येक जाति

Scanned with CamScanner

का स्थान जन्म पर आधारित होता है। इस संस्तरण में सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों की स्थिति होती है, इसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का स्थान क्रमशः निम्न होता गया है। यह संस्तरण मुख्यतः जन्म पर आधारित होने के कारण बहुत-कुछ स्थिर व दृढ़ है और इसी कारण साधारणतया इस संस्तरण में ऊँचे स्तर पर उठना असम्भव तो नहीं, पर कठिन अवश्य ही है।

**(3) भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबन्ध** (Restrictions on Feeding and Social Intercourse)—जाति-प्रथा के निषेधात्मक नियमों में भोजन सम्बन्धी प्रतिबन्ध उल्लेखनीय हैं। प्रत्येक जाति को दूसरी जाति के हाथ का बना भोजन खाने की आज्ञा नहीं है। जाति के सदस्य खानपान की आदतों में पारम्परिक स्वच्छता को ध्यान में रखकर चलते हैं। ब्राह्मण सात्विक, क्षत्रिय या वैश्य रायल फूड तथा शुद्र तामसी भोजन को पसन्द करते हैं।

**(4) विभिन्न जातियों की सामाजिक और धार्मिक निर्योग्यताएं तथा विशेषाधिकार** (Civil and Religious Disabilities and Privileges of the Different Sections)—जाति-प्रथा की एक अन्य विशेषता छुआछूत के आधार पर विभिन्न जातियों को सामाजिक और धार्मिक निर्योग्यता या विशेषाधिकार प्रदान करना है। इस सम्बन्ध में सबसे अधिक विशेषाधिकार ब्राह्मणों को प्राप्त हैं और सबसे अधिक निर्योग्यताएं अछूतों के लिए हैं।

**(5) पेशों के अप्रतिबन्धित चुनाव का अभाव** (Lack of Unrestricted Choice of Occupations)—प्रायः प्रत्येक जाति कुछ पेशों को अपना परम्परागत पेशा मानती है और उसे छोड़ना उचित नहीं समझा जाता है। इस प्रकार ब्राह्मण पुरोहित के काम को और दलित जूते बनाने के काम को ही करना ठीक समझते हैं। औद्योगीकरण के कारण लोग अपने जातिगत व्यवसायों को छोड़कर अन्य व्यवसायों या नौकरी करने के इच्छुक हो गए हैं।

**(6) विवाह सम्बन्धी प्रतिबन्ध** (Restrictions on Marriage)—प्रत्येक जाति में विवाह सम्बन्धी अनेक प्रतिबन्ध होते हैं। उनमें अन्तर्विवाह (endogamy) का नियम सबसे प्रमुख है। वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक जाति अनेक उपजातियों में विभाजित है और प्रत्येक जाति अन्तर्विवाही (endogamous) समूह है, अर्थात् अपनी उपजाति से बाहर विवाह-सम्बन्ध स्थापित करने की आज्ञा नहीं है। वेस्टरमार्क जाति-प्रथा की एक विशेषता से इतने अधिक प्रभावित हुए हैं कि आपने अन्तर्विवाह को 'जाति-प्रथा' का सार तत्त्व माना है। भौगोलिक और भाषा सम्बन्धी क्षेत्र में भिन्नता के साथ-साथ अन्तर्विवाह के नियम भी कठोर हो जाते हैं।

Scanned with CamScanner

## जाति-प्रथा की उत्पत्ति के सिद्धान्त
## (Theories of Origin of Caste System)

भारतीय जाति-प्रथा एक अत्यन्त जटिल संस्था है। इस संस्था के सम्बन्ध में विभिन्न दृष्टिकोणों से अध्ययन भी सबसे अधिक हुआ है। वेद, महाकाव्य, पुराण आदि के लेखकों से लेकर अनेक यूरोपीय और भारतीय विद्वानों तक ने इसके बारे में अध्ययन किए हैं और प्रत्येक ने अपना एक सिद्धान्त इसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में बताया है। हम उनमें से कुछ प्रमुख सिद्धान्तों की रूपरेखा यहां प्रस्तुत करेंगे–

Scanned with CamScanner

## (1) परम्परात्मक सिद्धान्त (Traditional Theory)

परम्परात्मक सिद्धान्त की व्याख्या थोड़े-बहुत अन्तर के साथ वेदों, उपनिषदों, महाकाव्यों, धर्मशास्त्रों और स्मृतियों में मिलती है। जाति-प्रथा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में वैदिक साहित्य में सबसे पुरानी व्याख्या ऋग्वेद और यजुर्वेद के पुरुषसूक्त में 'ब्राह्मणोऽस्य मुख...पद्भ्यां शूद्रोजायत' इस मन्त्र में है। इसके अनुसार ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय बाहु से, वैश्य जाँघ से और शूद्र पैर से पैदा हुए। इसी आधार पर प्रत्येक जाति का कार्य या पेशा भी निश्चित है। क्योंकि ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई और मुख बोलने का साधन है, इस कारण ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन करना, शिक्षा देना आदि है, जिससे वेदों की रक्षा हो सके। बाहु शक्ति का द्योतक है, इसलिए क्षत्रियों का कार्य शक्ति से सम्बन्धित कार्य है; जैसे अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग करना, उनकी शिक्षा देना, सेना में कार्य करना, जीवन और धन की रक्षा करना, जिससे कि समुचित राज्य-व्यवस्था स्थापित हो सके। उसी प्रकार वैश्यों का कार्य कृषि करना, व्यापार करना आदि है और पैरों से उत्पत्ति होने के कारण शूद्रों का कार्य ऊपर के तीन वर्णों की सेवा करना है।

**समालोचना** (Criticism)—(1) उपर्युक्त सिद्धान्तों को वैज्ञानिक आधारों पर स्वीकार करना असम्भव है। ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति के विषय में यह सरलता से कहा जा सकता है कि आज के वैज्ञानिक युग में मनुष्यों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में ऐसी अलौकिक कल्पना पर हम विश्वास नहीं कर सकते।

(2) प्रतिलोम विवाह से नई जाति व उपजातियों की उत्पत्ति की कल्पना भी पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि नई जातियों की उत्पत्ति में अनेक कारणों का योग माना जाता है। विशेषतः इन सिद्धान्तों के आधार पर एक ही वर्ण में पाई जाने वाली विभिन्न जातियों, सम्प्रदायों तथा अन्य कारणों से उत्पन्न जातियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है।

## (2) राजनीतिक सिद्धान्त (Political Theory)

प्रारम्भिक यूरोपियन विद्वानों ने जाति-प्रथा को ब्राह्मणों द्वारा आयोजित एक चतुर राजनीतिक योजना का रूप बताया है। इन विद्वानों में **अबे डुबॉयस** का नाम विशेष उल्लेखनीय है। आपके मतानुसार जाति-प्रथा ब्राह्मणों के लिए और ब्राह्मणों के द्वारा बनाई हुई एक चतुर राजनीतिक योजना है जोकि ब्राह्मणों ने अपनी सत्ता को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए रची थी। जाति मूलतः धर्म पर आधारित है और धार्मिक कृत्यों को करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है। इस प्रकार ब्राह्मणों ने अपनी प्रभुता को बनाए रखने के लिए धर्म का सहारा लिया और एक ऐसी योजना बनाई जिसमें अपना स्थान सबसे ऊपर रखा और उन लोगों को द्वितीय स्थान दिया जोकि अपने बाहुबल से ब्राह्मणों के स्वार्थ की रक्षा कर सकें। इस प्रकार क्षत्रियों का दूसरा स्थान मिला।

**इबेटसन और डॉ. घुरिये** ने भी आंशिक रूप में इस सिद्धान्त को स्वीकार किया है, विशेषकर इस अर्थ में कि इन विद्वानों ने यह भी माना है कि जाति-प्रथा की उत्पत्ति में ब्राह्मणों का एक अति सक्रिय योगदान रहा है। **डॉ. घुरिये** ने स्पष्ट ही लिखा है कि "जाति-प्रथा इण्डो-आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणों का बच्चा है जोकि गंगा और यमुना के मैदान में पला है और वहां से देश के दूसरे भागों में ले जाया गया है।"

Scanned with CamScanner

**समालोचना** (Criticism)—जाति-प्रथा के अन्तर्गत प्रत्येक विषय में ब्राह्मणों को जो सुविधाएं और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, उन्हें देखकर स्वभावतः यह संदेह उत्पन्न होता है कि यह व्यवस्था ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई है। अतः **डुबॉयस** के अनुसार जाति-प्रथा एक कृत्रिम संगठन है। परन्तु समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह विचार भ्रमपूर्ण प्रतीत होता है, क्योंकि जाति-प्रथा एक सामाजिक संस्था है और किसी भी संस्था की कृत्रिम रचना नहीं, बल्कि स्वाभाविक विकास हुआ करता है। इसीलिए जाति-प्रथा की कृत्रिम रचना की कल्पना दोषपूर्ण है।

### (3) धार्मिक सिद्धान्त (Religious Theory)

इस सिद्धान्त के प्रवर्तकों में **होकार्ट** और सेनाट इन दो विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके सिद्धान्तों की विवेचना हम अलग-अलग प्रस्तुत करेंगे—

#### • *होकार्ट का सिद्धान्त* (Theory of Hocart)

**होकार्ट** के मतानुसार समाज का विभाजन धार्मिक सिद्धान्तों और प्रथाओं के कारण हुआ है। उनके अनुसार जाति-प्रणाली देवताओं को भेंट चढ़ाने का संगठन (sacrificial organization) है। प्राचीन भारत में धर्म का महत्त्व अत्यधिक था और उसकी एक सामान्य अभिव्यक्ति देवताओं को बलि चढ़ाने की प्रथा थी। पशुओं को बलि देने का काम प्रत्येक व्यक्ति करने को राजी नहीं हो सकता, क्योंकि इस प्रकार पशुओं की हत्या, धर्म से सम्बन्धित होने पर भी कुछ निकृष्ट या अपवित्र स्तर का कार्य है। अतः ऐसे कार्यों को करने के लिए कुछ ऐसे लोगों की आवश्यकता हुई जिनकी स्थिति समाज में नीची थी या जो दास आदि होते थे और जिनको इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए बाध्य भी किया जा सकता था। इतना ही नहीं, धर्म के अन्तर्गत अन्य अनेक कृत्य भी सम्मिलित होते हैं और इन कृत्यों को करने के लिए विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों की सेवाओं की आवश्यकता होती है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि जाति-प्रथा की उत्पत्ति को धार्मिक आधार पर समझने के लिए **होकार्ट** ने चार प्रमुख बातों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है—

(i) जाति-प्रथा की उत्पत्ति को आर्थिक आधार पर उतनी सरलता से नहीं समझा जा सकता है जितना कि धार्मिक आधार पर। (ii) यद्यपि जाति-प्रथा में पेशों का स्पष्ट विभाजन देखने को मिलता है और प्रत्येक पेशे के साथ कुछ-न-कुछ आर्थिक तत्त्व अवश्य ही जुड़ा होता है, फिर भी विभिन्न जातियों के पेशों का वास्तविक और मुख्य आधार धार्मिक ही है। (iii) जाति-प्रथा के अन्तर्गत प्रत्येक जाति की स्थिति एक स्तर पर नहीं है और प्रत्येक जाति के जातीय संस्तरण में ऊँची या नीची स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि वह जिस पेशे को करता है वह धार्मिक आधारों पर कितना पवित्र या अपवित्र है। (iv) धार्मिक कृत्यों में पवित्रता और अपवित्रता की धारणा देवताओं को बलि या भेंट चढ़ाने से सम्बन्धित है। अतः अन्तिम रूप में, जाति-प्रथा की उत्पत्ति देवताओं को भेंट या बलि चढ़ाने के धार्मिक कृत्यों से सम्बन्धित सेवाओं से हुई है।

Scanned with CamScanner

**समालोचना** (Criticism)—(1) **होकार्ट** के सिद्धान्त में सबसे बड़ी कमी यह है कि वे यह भूल जाते हैं कि जाति-प्रथा एक सामाजिक संस्था है, पूर्णतया एक धार्मिक संस्था नहीं।

(2) होकार्ट ने अपने सिद्धान्त में देवताओं को बलि चढ़ाने के धार्मिक कृत्य पर अत्यधिक बल दिया है। यह समझना वास्तव में कठिन है कि समूची जाति-प्रथा की उत्पत्ति हिन्दू धर्म के केवल एक अंग—बलि के आधार पर, कैसे सम्भव हो सकती है। जाति-प्रथा की उत्पत्ति में धर्म के महत्त्व को यदि स्वीकार भी कर लिया जाए, तो भी यह कहना गलत होगा कि बलि के प्रभाव के कारण ही जाति-प्रथा की उत्पत्ति हुई है या हो भी सकती है।

(3) यह सिद्धान्त इस बात को भी स्पष्ट नहीं करता कि विभिन्न जातियों में खान-पान और विवाह-सम्बन्धी निषेध क्यों हैं?

### • *सेनार्ट का सिद्धान्त* (Theory of Senart)

**सेनार्ट** ने भी जाति-प्रथा की उत्पत्ति में धार्मिक कारण को अत्यधिक महत्त्वपूर्ण माना है। आपने अपने सिद्धान्त में **होकार्ट** के सिद्धान्त की एक कमी (भोजन-सम्बन्धी प्रतिबन्धों के कारण) को पूरा करने का प्रयत्न किया। आपने भोजन-सम्बन्धी प्रतिबन्ध पारिवारिक पूजा और कुल-देवता में भिन्नता के कारण उत्पन्न हुआ, क्योंकि एक देवता पर विश्वास करने वाले अपने को एक ही वंश के तथा एक अलौकिक बन्धन द्वारा बँधे हुए समझते थे और अपने देवता को एक विशेष प्रकार का भोजन (भोग) चढ़ाते थे। इन्हीं भिन्नताओं के आधार पर एक प्रकार के देवता को मानने वालों ने दूसरे प्रकार के देवता को मानने वालों से अपना विभेद रच लिया। इस सम्बन्ध में दूसरी बात यह थी कि आर्यों के आने से भारत में मिश्रित प्रजातीय समूह बने। इससे आर्यों की ओर से प्रजातीय शुद्धता, धार्मिक पवित्रता इत्यादि की भावना और भी कटु हो गई। इन विचारों ने नए समूहों को बनाया और शुद्धता, पवित्रता आदि की धारणाओं ने एक समूह को दूसरे समूहों से पृथक् कर दिया। उन लोगों ने (अर्थात् पुजारियों के वर्ग ने, जोकि जप-तप और पूजा का कार्य करते थे) अपनी पवित्रता को बनाए रखने तथा अपने को सुप्रतिष्ठित करने के लिए अपने नैतिक बल के प्रयोग के द्वारा धर्म के आधार पर अपनी स्थिति को सबसे ऊपर रखते हुए जाति-प्रथा का निर्माण किया।

**समालोचना** (Criticism)—(1) इस सिद्धान्त की आलोचना करते हुए **डालमैन** ने लिखा है कि **सेनार्ट** ने जाति-प्रथा की उत्पत्ति को इतना सरल बना दिया कि वह वैज्ञानिक नहीं रह गई है।

(2) **सेनार्ट** का केवल धार्मिक तत्त्वों के आधार पर जाति-प्रथा की उत्पत्ति को समझने का प्रयत्न अनुचित है, क्योंकि जाति-प्रथा जैसी सामाजिक संस्था की उत्पत्ति एक कारक से कदापि सम्भव नहीं है। जाति-प्रथा की उत्पत्ति में प्रजातीय, आर्थिक कारकों की अवहेलना करना वास्तविकता को टालना है।

Scanned with CamScanner

## (4) व्यावसायिक सिद्धान्त (Occupational Theory)

पेशों के आधार पर जाति-प्रथा की उत्पत्ति की व्याख्या **नेसफील्ड** ने प्रस्तुत की। आपके सिद्धान्त का केन्द्रीय भाव यह है कि "पेशा और केवल पेशा ही, जाति-प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है।" अपने इस कथन को स्पष्ट करते हुए **नेसफील्ड** ने लिखा है कि विभिन्न जातियों में जो भेद हमें देखने को मिलता है उसका एकमात्र कारण उनके पेशों या कर्मों में भी भिन्नता का होना है। इस सम्बन्ध में **नेसफील्ड** ने यह भी उल्लेख किया है कि जाति-प्रथा कि उत्पत्ति या विकास में धर्म का कोई भी महत्त्व नहीं, और न ही प्रजातीय सम्मिश्रण या शारीरिक लक्षणों के आधार पर जातियों को एक-दूसरे से पृथक् किया गया था। इस प्रकार सामाजिक आदर्शों के अनुसार पेशों का एक संस्तरण हो जाता है और फिर उन विभिन्न पेशों को करने वाले व्यक्ति भी आपस में उसी के अनुसार बँट जाते हैं और उन में भी ऊँच-नीच का एक संस्तरण पनप जाता है। जाति-प्रथा में भी यही हुआ और इसके अन्तर्गत जो कुछ भी भिन्नता या भेदभाव है वह सभी पेशों की ऊँच-नीच पर आधारित है।

**समालोचना** (Criticism)—**नेसफील्ड** के उपर्युक्त सिद्धान्त में अनेक कमियां है उनमें से कुछ इस प्रकार हैं—

(1) हट्टन का कथन है कि अगर पेशों के आधार पर ही ऊँच-नीच का भेदभाव है, तो क्या कारण है कि देश के विभिन्न भागों में रहने वाले और एक ही तरह के पेशे करने वाले व्यक्तियों के सामाजिक स्तरों में इतना अन्तर पाया जाता है? यदि **नेसफील्ड** के सिद्धान्त को स्वीकार किया जाए तो इन समस्त व्यक्तियों की एक ही जाति होनी चाहिए। पर वास्तव में ऐसा नहीं है। समान पेशे के आधार पर इन सबको एक आर्थिक समूह का सदस्य माना जा सकता है, पर एक ही जाति के सदस्यों के रूप में उनकी कल्पना कदापि नहीं की जा सकती। **नेसफील्ड** इस सामान्य सत्य को भी भूल गए हैं।

(2) **नेसफील्ड** का यह कथन भी सही नहीं प्रतीत होता है कि जाति-प्रथा के विकास में धर्म का कोई भी योग नहीं है। सामाजिक संस्था होने पर भी जाति-प्रथा में धार्मिक तत्त्व पाए जाते हैं। उदाहरणार्थ, जाति-प्रथा में धार्मिक पवित्रता व अपवित्रता की धारणा के आधार पर ही ब्राह्मणों को धार्मिक विषयों के विशेषाधिकार प्राप्त हैं और हरिजनों पर अनेक धार्मिक अयोग्यताएं लाद दी गई है।

## (5) प्रजातीय सिद्धान्त (Racial Theory)

जाति-प्रथा की प्रजातीय व्याख्या का एक रूप महाभारत में देखने को मिलता है। परम्परात्मक सिद्धान्त की विवेचना करते हुए इस पक्ष पर हम पहले ही प्रकाश डाल चुके हैं और यह भी उल्लेख कर चुके हैं कि उस सिद्धान्त का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। **सर हरबर्ट रिजले** ने ही सर्वप्रथम इस सिद्धान्त को एक वैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत किया था। ऐसे तो अन्य अनेक विद्वानों ने जाति-प्रथा के निर्माण में प्रजातीय तत्त्वों के महत्त्व को स्वीकार किया है, पर उनमें विदेशी लेखकों में **मैकाइवर, मैक्स वेबर, क्रॉबर** आदि का नाम और स्वदेश में **एस.सी. राय, एन. के. दत्ता, घुरिये, मजूमदार** आदि का नाम उल्लेखनीय है। हम यहां **रिजले व घुरिये** के सिद्धान्तों पर प्रकाश डालेंगे—

Scanned with CamScanner